प्रेषक,

सुशील कुमार,
निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवामें,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,,
उत्तराखण्ड।

संख्या 1882/पं.–2/लेखा/जी.पी.डी.पी./2015–16 दिनांक 20 फरवरी, 2016

विषयः– **ग्राम पंचायत विकास योजना के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं पर्सपेक्टिव/वार्षिक प्लान तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अगवत कराना है कि दिनांक 17 फरवरी, 2016 को डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु क्षमता निर्माण एवं वातावरण सृजन के संदर्भ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारियों एवं जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा जनपद/क्लस्टर स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा ग्राम सभाओं की खुली बैठकों हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों में शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में ग्राम पंचायत विकास योजना से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की तिथियों में संशोधन कर, जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 19 एवं 20 फरवरी, 2016 को तथा विकास खण्ड में क्लस्टर स्टरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 21 फरवरी, 2016 से 05 मार्च, 2016 तक निर्धारित किया गया है। दिनांक 30 अप्रैल, 2016 तक ग्राम सभा की बैठकें आहूत कर, दिनांक 31 मई, 2016 तक ग्राम पंचायत के पर्सपेक्टिव प्लान एवं वार्षिक प्लान तैयार किये जाने हैं तथा दिनांक 30 जून, 2016 तक समस्त डाटा प्लान प्लस सॉफ्वेयर में अपलोड किया जाना है।

क्लस्टर स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में रेखीय विभागों के ग्राम स्तरीय/विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी एवं कार्मिकों की प्रतिभागिता अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय, जैसा कि राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रतिभागियों एंव जनप्रतिनिधियों द्वारा रेखीय विभागों के अधिकारी/कार्मिकों की समुचित उपस्थिति के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया।

प्रायः देखा गया है कि ग्राम पंचायतों की वार्षिक योजना/पर्सपेक्टिव प्लान में राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति पर संक्रमित धनराशि से ही कार्ययोजना/प्लान तैयार किया जा रहा है, अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पर्सपेक्टिव प्लान एवं वार्षिक प्लान में रेखीय विभागों की विभिन्न योजनाओं में प्राप्त धनराशि का भी अभिसरण हो।

आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण सम्पन्न होने के तत्काल पश्चात् अर्थात् अगले दिवस फीडबैक रिपोर्ट (समाचार पत्रों की कतरने इत्यादि) मय फोटोग्राफ निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। क्लस्टर स्तर पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में सहभागीय नियोजन, संसाधन एनवलप (वित्तीय संसाधन), वातावरण सृजन, स्थिति विश्लेषण एवं पी.आर.ए. तकनीक का प्रयोग, आवश्यकताओं के प्राथमिकीकरण, तकनीकी सहायता समूहों की ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण में भूमिका इत्यादि विषय पर विस्तृत चर्चा की जाय तथा कम से कम एक दिन नियोजन पर मॉकड्रिल अवश्यमेव करा लिया जाय। क्लस्टर स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम से कम 10 प्रतिशत क्लस्टरों के दस्तावेजीकरण (फोटोग्राफ, वीडियोग्राफी, फीडबैक इत्यादि) अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में स्टैण्डर्ड एजेण्डे के रूप में वित्त आयोग, मनरेगा, पेयजल, स्वच्छता, आजीविका, जलागम, पोषण एवं स्वास्थ्य, शिक्षा पर अनिवार्य रूप से विषय चर्चा हेतु रखें जायें। प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक में खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग सुनिश्चित किया जाय, जिसका रोस्टर संबधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति से निर्गत किया जाय। रोस्टर का समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक होगा। बैठकों का रोस्टर इस प्रकार निर्गत किया जाए कि प्रत्येक बैठक में रेखीय विभागों के प्रतिनिधि सूचनाओं सहित उपस्थित हों। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विभाग उक्त खुली बैठक में विभाग की परिलब्धियों के साथ समस्याओं का ज्ञापन भी प्रस्तुत करें एवं विचार/विमर्श के उपरान्त सेक्टरवार योजना तैयार की जाय।

क्लस्टर स्तर पर प्रशिक्षण एवं ग्राम पंचायत विकास योजना के परिचालन सम्बन्ध में कोई सुझाव/फीडबैक/संशोधन अपेक्षित हो, तो जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
निदेशक

संख्या 1882/पं.–2/लेखा/जी.पी.डी.पी./2015–16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।

(सुशील कुमार)
निदेशक